FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 23/2026 दायरा दिनांक : 27/01/2026

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

सहायता बाई w/o परथी सिंह सोंधिया नि. सरखेडी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
27/01/26	वदीया द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश विकय पत्र दिनांक 02.05.2016 अनुसार वादीया का नाम सहायताबाई पत्नि परथीसिंह सोंधिया नि. सरखेडी अंकित है। इसी प्रकार नामा.सं. 1066 दिनांक 11.06.2016 के कालम सं. 15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पति का नाम परथीसिंह अंकित है। ग्राम सरखेडी की जमाबंदी सं. 2073–76 एवं तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग 4(1) राज–6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 परिपत्र के अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विकय पत्र दिनांक 02.05.2016 के अनुसार वादीया के पति के नाम में संशोधन हेतु वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। (दिनेश कुमार मीना) सहायक लै. रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner